न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

अपील- 5829/2018/शहडोल/सीलिंग अपील

राज कुमारी सिंह पिता स्व0 तेजप्रताप सिंह निवासी ग्राम कंचनपुर पोस्ट लालपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0 ——अपीलाण्ट

बनाम

1— शासन म0प्र0

02— अन्यपूर्णा कोरी पति शुखवा कोरी निवासी ग्राम कन्द्रोहा पोस्ट खैरहा थाना बुढार नयी तहसील बुढार (पुरानी तहसील सोहागपुर) जिला शहडोल म0प्र0

श्री आर. पी. त्रिवेदी द्वारा आज दि 24-9-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 3-10-18

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. 24-9-18

03— भारतेन्दु सिह मृत वारिस

04— कमला सिंह पत्नी स्व0 भारतेन्दु सिंह,

05— भवानी सिंह पिता स्व0 भारतेन्दु सिंह

06— राघवेन्द्र सिंह पिता स्व0 भारतेन्दु सिंह

07— गौरी सिंह पिता स्व0 भारतेन्दु सिंह

सभी निवासी ग्राम खैररहा तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0

———रेस्पा0गण

आवेदन वास्ते अपील प्रकरण कमांक 03 / बी—90(3) / 2015—16 म0प्र0 शासन विरूद्ध भरतेन्द्र सिंह वगैरह में पारित <u>आदेश दिनांक 25 / 02 / 2016 के विरूद्ध</u>

अपील अन्तर्गत धारा 41 के कृषि खातो का अधिक्त सीमा अधिनियम 1960

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

3

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-5829/2019/शहडोल/सीलिंग अधि.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01/08/2019	अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री बी.के. शुक्ला एवं प्रत्यर्थी क्र. 1 शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा उपस्थित। शासकीय अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस प्रकरण में जो आवेदक हैं, वे किसी भी निम्न न्यायालय में पक्षकार नहीं रहे हैं, ऐसी स्थिति में यह प्रकरण प्रचलनयोग्य नहीं है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त संबंध में कोई समुचित तर्क प्रस्तुत नहीं किए हैं और ना ही कोई ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवेदक इस न्यायालय में किस प्रकार पक्षकार बनने योग्य है। उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक निम्न किसी भी न्यायालय में पक्षकार नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण प्रचलनयोग्य नहीं होने से इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	